

**बिहार सरकार**  
**स्वास्थ्य निदेशालय**  
**आदेश**

आ0सं0-6/एन0-07-84/2018(पार्ट)-.....

/पटना-15, दिनांक-.....

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस0एल0पी0(सी0)-29037/2018 अपोलो नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल बनाम इण्डियन नर्सिंग काउंसिल एवं अन्य में पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय आदेश ज्ञापांक-1302(6), दिनांक-26.11.2018 द्वारा अपोलो नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल, सैदनगर, लहेरियासराय, दरभंगा के अन्तर्गत जी0एन0एम0 पाठ्यक्रम के लिए मान्यता प्रदान किए जाने के संबंध में डॉ0 उदय कुमार गुप्ता, अपर निदेशक, मुख्यालय, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के पत्रांक-74/अ0नि0को0 दिनांक-27.11.2018 द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध भौतिक संसाधनों, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जांच एवं निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

2 - विशेषज्ञ समिति के अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त अपोलो नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल, सैदनगर, लहेरियासराय, दरभंगा को नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एकजामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम-4 (iii) के आलोक में जी0एन0एम0 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 40 (चालिस) सीटों पर नामांकन लेने हेतु एक सत्र (2018-19) के लिए निम्न शर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती है :-

- (क) संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी। सिविल सर्जन, दरभंगा समय-समय पर संस्थान की गुणवत्ता का निरीक्षण करेंगे तथा भारतीय उपचर्या परिषद की अर्हताओं की अवहेलना होते ही संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।
- (ख) नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एकजामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 एवं समय-समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन संस्थान द्वारा किया जायेगा।
- (ग) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा निर्देश के आलोक में अपना निरीक्षण करा लेंगे।
- (घ) कुल आवंटित सीटों में से 50% छात्रों का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।
- (ङ) संस्थान की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा (ii) सिविल सर्जन, दरभंगा तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दरभंगा को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

3 - आदेश में सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(डॉ0 आर0डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख,  
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6/एन0-07-84/2018(पार्ट)-..... 1471 (6) पटना दिनांक 19/12/2018


**प्रतिलिपि:-** सचिव, अपोलो नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल, सैदनगर, लहेरियासराय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि:-** सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/सिविल सर्जन, दरभंगा/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि:-** माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/विशेष सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि:-** परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि:-** आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख,  
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।  
w